



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102020-222379  
CG-DL-E-12102020-222379

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3137]  
No. 3137]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3549(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि किसी तेल क्षेत्र उद्योग में लगी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 17 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3898(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2019, द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 30 अक्टूबर, 2019, से छह मास की अवधि के लिए उक्त औद्योगिक स्थापनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोकहित उपयोगी सेवा प्रास्थिति के विस्तार की अपेक्षा की जाती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि किसी तेल क्षेत्र उद्योग में लगी सेवाएं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा.सं. एस-11017/1/2018-आईआर (पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2020

**S.O. 3549(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that public interest requires that the industry engaged in the services in any oilfield, which is covered under item 17 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30<sup>th</sup> October, 2019, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 3898(E), dated the 30<sup>th</sup> October, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the industry engaged in the services in any oilfield to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/1/2018–IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.